महिला पुलिसः एक कल्याणकारी भूमिका

सुमन कुमार
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग,
एस. डी.(पी. जी.) कॉलेज, गाजियाबाद
ईमेलः suman1041984@gmail.com

सारांश

विश्व के विभिन्न देशों में महिला पुलिस की स्थापना के इतिहास से पुलिस कार्य में महिलाओं के नियोजन में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है जिससे आर्थिक प्रगति तथा सोच का बोध होता है। पुलिस में प्रवेश पाने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कड़ा एवं लंबा संघर्ष करना पड़ा है। पुलिस बल महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे उन्हें अपने साथ सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे आमतौर पर ज्यादातर विभागों में महिलाओं के अस्थायी नियोजन पर रखकर परीक्षण किए। महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को हल करने में उनके महत्व को आंका गया तथा उनको पहचान मिली।[1] संयुक्त राज्य अमेरिका कानून लागू करने में महिलाओं के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणीय रहा। हम कह सकते हैं कि पहलें–पहल महिलाओं को सन् 1845 में, अमेरिका के न्यूयार्क शहर में पुलिस मैटर्न के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पुलिसोन्मुखी कार्यो के स्थान पर अभिरक्षात्मक कार्य ही सौंपे गए। सबसे पहले सन् 1893 में शिकागो शहर में पुलिस में महिला की नियुक्ति के दस्तावेज मिलते हैं। उन्हें न्यायालय में जाने और ऐसे मामलों में जहां महिला और बच्चे शामिल थे वहां पुरूष जासूसों की सहायता के कार्य सौपें गए। जिन महिलाओं को पुलिस विभाग में लिया गया उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बजाय सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में ही कार्य किया।[2] सन् 1903 में जर्मनी के 'स्टेड गार्ट' में और सन् 1905 में पोर्टलैण्ड तथा यू0एस0ए0 में वैधानिक रूप से महिलाओं की नियुक्ति की गयी। 1910 में 'लॉस एंजल्स' में महिला पुलिस की नियुक्ति की गई थी।

प्रस्तावना

विश्व के विभिन्न देशों में महिला पुलिस की स्थापना के इतिहास से पुलिस कार्य में महिलाओं के नियोजन में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है जिससे आर्थिक प्रगति तथा सोच का बोध होता है। पुलिस में प्रवेश पाने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कड़ा एवं लंबा संघर्ष करना पड़ा है। पुलिस बल महिलाओं को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे उन्हें अपने साथ सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे आमतौर पर ज्यादातर विभागों में महिलाओं के अस्थायी नियोजन पर रखकर परीक्षण किए। महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण

मामलों को हल करने में उनके महत्व को आंका गया तथा उनको पहचान मिली।[1] संयुक्त राज्य अमेरिका कानून लागू करने में महिलाओं के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणीय रहा। हम कह सकते हैं कि पहलें–पहल महिलाओं को सन् 1845 में, अमेरिका के न्यूयार्क शहर में पुलिस मैटर्न के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पुलिसोन्मुखी कार्यो के स्थान पर अभिरक्षात्मक कार्य ही सौंपे गए। सबसे पहले सन् 1893 में शिकागो शहर में पुलिस में महिला की नियुक्ति के दस्तावेज मिलते हैं। उन्हें न्यायालय में जाने और ऐसे मामलों में जहां महिला और बच्चे शामिल थे वहां पुरूष जासूसों की सहायता के कार्य सौपें गए। जिन महिलाओं को पुलिस विभाग में लिया गया उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बजाय सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में ही कार्य किया।[2] सन् 1903 में जर्मनी के 'स्टेड गार्ट' में और सन् 1905 में पोर्टलैण्ड तथा यू0एस0ए0 में वैधानिक रूप से महिलाओं की नियुक्ति की गयी। 1910 में 'लॉस एंजल्स' में महिला पुलिस की नियुक्ति की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप महिलाओं को स्वंय सेवकों के रूप में तथा अल्पकालीन कार्यकत्ताओं के रूप में 'डिमोंसटेटर' के रूप में क्षमता दिखाने का मौका प्राप्त हुआ। सन् 1917 में लंदन में महानगरीय महिला पुलिस की स्थापना हुई। शिकागो में 1922 में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस मुख्यधिकारियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि महिला पुलिस का पहला प्रारम्भिक कार्य उन सभी मामलों में बनता है जहाँ अपराधी तथा शिकार के रूप में महिला या बच्चें शामिल होते है। महिलाओं के खिलाफ अपराध चाहे उनकी उम्र कोई भी हो और 12 वर्ष तक के लड़के महिला पुलिस की जिम्मेदारी में होने चाहिए। 1923 में एक महिला कार्यकर्ता लन्दन की खुफिया पुलिस के साथ नागरिक की हैसियत से जुड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य या उन लड़कियों की देखभाल करना एवं उनके बयान दर्ज करना जिनके ऊपर सेक्स से अत्याचार हुए हों।[3] द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान स्त्रियों के द्वारा की गयी जासूसी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई और 1923 में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं ने पुलिस की नौकरी प्रारम्भ की। उन्हें सिपाही की पदवी पर शपथ दिलायी गयी और पद, शक्तियां तथा कर्तव्य पुरूषों के समान रखें गयें। सन् 1972 में जब समान रोजगार अवसर अधिनियम पारित किया गया तो सभी कानूनी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया था।[4]

भारत में महिला पुलिस

भारत में पुलिस कार्यों के लिए विभिन्न महिलाओं की जासूसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख ई, पू. 310 में लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आहूजा (2011), शर्मा (1977), बाशम (1965) मे उन सशस्त्र महिलाओं का वर्णन किया है जो प्राचीन भारत में हरमों की सुरक्षा का कार्य किया करती थीं। उसमें मौर्य राजाओं का भी उल्लेख किया है जिनकी सुरक्षा का कार्य तलवार तथा तीर कमान के संचालन में प्रशिक्षित वीरांगनाओं द्वारा किया जाता था। ग्रीक लोग पंजाब की कुछ जातीय महिलाओं की भीषण बहादुरी से प्रभावित थे जिसका प्रदर्शन उनके द्वारा अपने पुरूष साथियों के साथ मिलकर सिंकदर का प्रतिरोध करने के लिए किया गया था।[5] इसके बावजूद एक चौथाई, बीसवीं शताब्दी गुजरने के बाद ही पूर्व महिलाओं को पुलिस संगठन में शामिल करने का रिकार्ड अर्थात् सबूत उपलब्ध होते हैं। कानपुर में सन् 1938 में श्रमिकों

की हड़ताल के होते हुए पहली बार महिला पुलिस की जरूरत को महसूस किया गया, (उत्तर प्रदेश सरकार 1962)। उस समय महिला श्रमिक हड़ताल विरोधी मजदूरों के प्रवेश को रोकने के लिए कारखाने के प्रवेश द्वार पर बैठ गई थी तथा पुरूष पुलिसकर्मियों को महिला श्रमिकों को पकड़–पकड़कर हटाने की संवेदनशील स्थिति का सामना करना पड़ा था। ऐसी किसी प्रकार की स्थिति से भविष्य में निपटने के लिए भारत में सन् 1939 में पहली बार कानपुर में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन जैसे ही हड़ताल समाप्त हुई, आनन–फानन में गठित किए गए महिला पुलिस बल का विघटन कर दिया गया। उसी साल त्रावणकोर रिसायत में भी एक महिला हैड कांस्टेबल तथा 12 विशेष महिला पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति की गई। उनको नियमित पुलिस बल में अस्थायी पुलिस कांस्टेबलों के रूप में नियुक्त किया गया।[6] भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा में सन् 1947 से महिला पुलिस को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित किया गया इसके बाद पंजाब व अहमदाबाद (1949), आन्ध्र प्रदेश (1950), बिहार (1952), राजस्थान (1955), उड़ीसा (1961), कटक व सम्बलपुर (1965) में आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं सब–इन्सपेक्टर के पद समय–समय पर सृजित किये गये लेकिन वर्ष 1974 में उ0प्र0 शासन ने महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1974 में महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस में महिलाओं की भर्ती किये जाने की संस्तुति की। जिन्हें मुख्यतः बाल अपराधियों तथा महिला अपराधियों का दायित्व सौंपा गया। भारतीय महिला पुलिस का मुख्य कार्य बच्चों तथा महिलाओं से संबंधित अपराधों की छानबीन करना तथा महिला अपराधियों की अनुरक्षा करना, तलाशी लेना तथा उन्हें आवश्यकतानुसार अभिरक्षा में लेना है। इसी कड़ी में महिला पुलिस थानों की स्थापना भी की गई है। हम भारतवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि विश्व का प्रथम महिला पुलिस थाना केरल के कालीकट में 27 अक्टूबर, 1973 को स्थापित किया गया। इसके बाद सन् 1987 में मध्यप्रदेश में व 1990 में राजस्थान व जम्मू कश्मीर में महिला थाने की स्थापना की गई।[7]

महिला पुलिस की कल्याणकारी भूमिका

विश्व में विभिन्न समाजों में आ रहे परिवर्तनों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था की भूमिकाएं और लक्ष्य भी बदल रहे हैं। पुलिस की भूमिका केवल कानून को लागू करने के कार्य तक सीमित न रहकर बहुआयामी हो गई है। जब हम यौन हिंसा को देखते है तो पाते हैं कि यह कोई नई नहीं है फिर भी हाल के वर्षों में इसकी उत्तरोत्तर सामाजिक समस्या के रूप में पहचान की जाती है। बलात्कार, सतीप्रथा, बालिका हत्या, बालिका भ्रूण की हत्या, दहेज मृत्यु, पत्नी की पिटाई, भावनात्मक, अत्याचार आदि के रूप में महिलाओं के उत्पीड़न को देखा जा सकता है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध की स्थितियों का विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपराध का शिकार बनती है।[8] महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कानूनी व्यवस्थाओं तथा सामाजिक कार्यक्रमों के बावजूद महिलाएं न केवल कानून तोड़ने वालों बल्कि कानून की रक्षा करने वाले तथाकथित पुलिकर्मियों से भी असुरक्षित रहती है। अनेक बार पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से बलात्कार करने की खबरें अखबारों की सुर्खियाँ बनती रहती है।

साथ ही भारतीय समाज के परंपरागत मानक किसी व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा के कार्य की पीड़ित महिला अथवा उसके माता–पिता द्वारा खुली निंदा में अवरोधक होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्य के विरूद्ध मामला दर्ज करने के लिए हिंसा से पीड़ित द्वारा हिचकिचाहट से यह कार्य और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुरूष उस अकेलेपन का जिसमें महिलाओं को धकेल दिया जाता है, का लाभ उठाते है। इसी स्थिति के कारण महिलाओं के विरूद्ध हमारे देश में पुलिस के लिए एक अजीबो–गरीब समस्या बन जाती है।[9] जिसका पुलिस के द्वारा निदान करना मुश्किल हो जाता है।

महिला पुलिस की पुलिस स्टेशन में मौजूदगी से पुलिस पर जनता का भरोसा तथा विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी, महिला पुलिस, पुलिस कार्य के सेवा पहलु की तरफ अधिक ध्यान दिए जाने में सहायता कर सकती है। पुलिस की संपूर्ण दार्शनिकता संस्कृति और तौर तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पुलिस थाने ऐसे दिखाई दें और वहां कार्य भी हो और मुसीबत में पड़े व्यक्ति के लिए सहायता के तत्काल स्त्रोत साबित हों। पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस की तैनाती से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है अर्थात आज के दौर में मदद भी मिल रही है आम जनता को।

यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के बयान, उनसे पूछताछ और कार्यवाई पुरूष अधिकारियों के द्वारा न करके, महिला पुलिस के द्वारा ही की जानी चाहिए। महिला कैदियों की तलाशी अथवा पुलिस हिरासत में बंद महिला कैदियों की पहरेदारी अथवा भागी हुई महिलाओं अथवा लड़कियों के मामले में कार्रवाई अथवा किशोर अपचारिता के संबंध में कार्रवाई का कार्य पुरूष अधिकारियों को करने की अनुमति होनी चाहिए।

- समाज को महिला पुलिस से बहुत सी उम्मीदें हैं। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित समस्याओं को महिला पुलिस अच्छी प्रकार से निपटा सकती है तथा जनता में पुलिस की छवि में सुधार लाने में कामयाब हो सकती हैं।
- महिला पुलिस निष्पक्ष होकर समस्याओं का निपटारा सही प्रकार से कर सकती है।
- महिला पुलिस निष्ठुरता की चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकती। अपराधी के साथ विशेषकर महिलाएं एवं बच्चों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगी।
- महिला पुलिस, राजनेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद गलत कार्य में सहयोग नहीं करेगी। उसको जनता का सच्चा हमदर्द समझा गया है।
- महिला पुलिस भ्रष्टाचार से दूर रहेगी तथा धार्मिक होने के कारण रिश्वत नहीं लेगी। जनता तथा पुलिस के बीच बहुत सी गलतफहमियां हैं। इनको दूर करने में महिला पुलिस सहयोग कर सकती है, मेल–जोल का वातावरण होगा तथा आज जनता की विचारधारा में परिवर्तन आएगा।
- महिला पुलिस की उपस्थिति के कारण अभद्र भाषा का प्रयोग नियंत्रित होगा तथा पुलिसकर्मी गाली–गलौच की भाषा का कम प्रयोग करेंगे। इससे दोषी महिला तथा

बच्चों के अंदर भय कम होगा तथा अत्याचार नहीं हो पाएगा। महिला पुलिस महिलाओं से संबंधित कानूनों को अधिक गंभीरता एवं प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकती है।

- महिला पुलिस के अच्छे प्रदर्शन के कारण उच्च तथा मध्यवर्ग को शिक्षित लड़कियों को पुलिस में आने का प्रोत्साहन मिलेगा जिसके कारण पुलिस बल की भविष्य में साफ–सुथरी छवि समाज के समक्ष प्रस्तुत होगी। देश में पुलिस की छवि बेहतर होगी। जनता पुलिस को सहयोग के रूप में मद्दगार समझेगी तथा दोनों के बीच वैमनस्य का वातावरण समाप्त हो जाएगा।
- भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार की है कि महिला अपराधियों के पुनर्वास की समस्या अत्यंत ही जटिल है। जेल से सजा काटकर आने वाली महिला को परिवार व समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे में वह पुनः अपराध में लिप्त होना चाहती है। महिला पुलिस इस प्रकार की महिलाओं को सीधा व सरल रास्ता दिखाकर सुधार सकती है। तथा सलाह व मश्वरा देकर पुनः अपराध में शामिल न हो, के लिए बाध्य कर सकती है तथा समय–समय पर उनसे बातचीत करते रहना उनके जीवन में उत्साहवर्धक साबित होगा।
- भारतीय जेलों में मां के साथ तीन साल तक के बच्चे को भी रखने का प्रावधान है। परंतु बच्चों के लिए खिलौने, शिक्षा नर्सरी आदि का कोई इंतजाम नहीं होता है। जेल के प्रदूषित वातावरण में बच्चे को मिले संस्कार उसे अपराधी बनने से नहीं रोक पाते हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए बच्चों की यथोचित व्यवस्था पुलिस को करनी चाहिए। इस कार्य को महिला पुलिस अच्छे एवं सुचारू रूप से संचालित कर सकती है। बच्चों के साथ महिला पुलिस घुल मिलकर मां का भी दिल जीत सकती है। समाज में अपराधों में कमी लाने में महिला पुलिस योगदान कर सकती है।
- न्याय की विपरित प्रणाली जिसका अर्थ है कि बलात्कार की शिकार महिला से कटघरे में प्रति परीक्षा करने से उसे पीड़ा और महान दुखः से गुजरना पड़ता है और उन्हें अपराध (घटना) का ब्यौरा बताना पड़ता है। ऐसी छानबीनों के लिए महिला पुलिस का प्रयोग करने से पीड़ित महिला अपेक्षाकृत कम दबाव में रहती है तथा अपने को सुरक्षित महसूस करती है।[10]

महात्मा गांधी के विचार पुलिस के संबंध में इस प्रकार से हैं कि– पुलिस के बारे में उनकी जो अवधारणा है वह वर्तमान पुलिस बल से नितांत भिन्न हैं। वे लोगों के स्वामी नहीं बल्कि सेवा होंगे। जनता उन्हें स्व–प्रेरणा से प्रत्येक संभव सहायता देगी और पारस्परिक सहयोग से वे लगातार कम होते हुए दंगे फसादों पर काबू पा सकेंगे। उन्हें केवल चोरों और डकैतों के साथ ही पुलिसगिरी करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक पुलिस के कार्य का संबंध है वे केवल भारतीय है जो धर्म की ओर ध्यान दिए बिना दुखियों को पूरा–पूरा संरक्षण प्रदान करने की शपथ से बंधे हुए हैं। अपना कर्तव्य पालन

करने से वे कम मुसलमान, हिंदू व सिक्ख नहीं हो जाएंगे बल्कि मुसलमान हिंदू या सिक्ख होंगे।[11]

- महिला पुलिस की विभिन्न परिस्थितियों को शांतिपूर्वक हल करने तथा तनाव को दूर करने की बहुत संभावनाएं होती है। बिना संघर्ष की भूमिकाओं जिनमें नियंत्रण, धैर्य और सहनशीलता की जरूरत हो उन्हें वहां सरलता से तैनात किया जा सकता है। विशेष रूप से उनकी आवश्यकता ऐसे मामलों में पड़ती है जहां पुलिस का संपर्क महिलाओं से होता है ताकि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों को रोका जा सके। पुलिस स्टेशनों में पुलिस महिला की उपस्थिति से पुलिस कार्य के सेवा पहलुओं की ओर बेहतर ध्यान देने में काफी अधिक मद्द मिलेगी।

  महिला पुलिस एक सामाजिक बदलाव की एक कड़ी हो सकती है।

  महिला पुलिस के अनैतिक व्यापार तथा बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की कार्यवाई तथा छानबीन के कार्य को सुचारू रूप से करते हुए परखा जा चुका है तथा उनको इस प्रकार के कार्यों के योग्य समझा जाने लगा है।

  महिला पुलिस के द्वारा स्कूलों के बच्चों को समझाकर अर्थात भाषण देकर अपराध, सड़क सुरक्षा आदि में कमी लाई जा सकती है तथा एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है।[12]

संदर्भ ग्रन्थ

1 आहूजा, राम 2011 : *भारतीय सामाजिक व्यवस्था,* रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, भारत।

2 सिंह, के.पी. 2008 :' *'भारत की कारागार व पुलिस व्यवस्था पुलिस विज्ञान''*, पुलिस अनुसंधान एवं विकासब्यूरो, नई दिल्ली, भारत।

3 जैन, दीपा 2007 : *महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस,* प्रकाशन : राजस्थान हिन्दी राज्य अकादमी, भारत।

4 गौड, संजय 2006 : *पुलिस व्यवस्था, आचरण समस्याएं एवं अधिकार,* प्रकाशक, बुक एन्कलेव, भारत।

5 जैन, सुरेशचन्द्र, 2005 : *पुलिस एवं अदालतों में नागरिक सहभागिता,* कन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, भारत।

6 यादव, विमलेश, 2002: *अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका,* सृजन प्रकाशन, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

7 विश्नोई, ओमराज, 1999 : *शहरी परिपेक्ष्य में महिला पुलिस की भूमिका,* अरावली इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, भारत।

8 अलीम, शमीम, 1991 : *शहरी परिपेक्ष्य में महिला पुलिस की भूमिका,* अरावली इंटरनेशन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, भारत।